आदेश

परिचारी से परिचारी प्रवर की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–05.12.18 एवं 28.01.19 को सम्पन्न महानिदेशक चयन पर्षद की बैठक में योग्य घोषित निम्नांकित परिचारी को दिनांक–28.01.19 को सम्पन्न राज्य पुलिस स्थापना पर्षद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिचारी प्रवर की कोटि में वेतनमान–पे मैट्रिक्स लेवल–7 (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–II 9,300–34,800 एवं ग्रेड पे–4,600) में आदेश निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ–04 में अंकित जिला/ईकाई में पदस्थापित किया जाता है।

क्र0 सं0	नवप्रोन्नत परिचारी प्रवर का नाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला/ईकाई	अभियुक्ति।
1	2	3	4	5
1	राजकिशोर कुमार	चतरा	केन्द्रीय वस्त्र भंडार, झा0 ,राँची में पदस्थापित करते हुए पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।	दिनांक–31.07.18 से वैचारिक प्रोन्नति।
2	सुरेश कुमार ओझा	गिरिडीह	लोहरदगा	
3	अवधेश कुमार	जमशेदपुर	पाकुड़	
4	विनोद कुजूर	राँची	जे0पी0ए0, हजारीबाग	
5	सोना राम सोरेन	सिमडेगा	जमशेदपुर	दिनांक–31.07.18 से वैचारिक प्रोन्नति।
6	रौशन मरांडी	जामताड़ा	खूँटी	दिनांक–31.07.18 से वैचारिक प्रोन्नति।

2. परिचारी से परिचारी प्रवर की कोटि में प्रोन्नति के पूर्व 08 (आठ) सप्ताह के प्रोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करना है। परन्तु पदाधिकारियों की कमी को मद्देनजर रखते हुए तत्काल इस शर्त के साथ प्रोन्नति एवं पदस्थापन किया जा रहा है कि जो पदाधिकारी अपने लिये निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें पुनः परिचारी की कोटि में पदावनत कर दिया जायेगा।

3. उक्त सभी परिचारी को परिचारी प्रवर की कोटि में प्रोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सेवा अभिलेख एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इनसे वरीय किसी परिचारी को प्रोन्नति प्रदान की जाती है तो तद्नुसार उक्त प्रोन्नत परिचारी प्रवर की वरीयता प्रभावित होगी।

4. नवप्रोन्नत परिचारी प्रवर के विरूद्ध प्रोन्नति/पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व का यदि कोई न्यायिक मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो, तथा विभागीय कार्यवाही लम्बित हो अथवा उन्हें कोई वृहत् दण्ड संसूचित हो, जिसके आरोप के घटना की तिथि पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि के तीन वर्ष के भीतर की हो, तो उन्हें यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पुलिस उप–महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जाँचोपरान्त क्षेत्रादेश/जिलादेश रोक कर पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रॉची को विचारार्थ प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. प्रोन्नत परिचारी प्रवर को प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

6. उपर्युक्त में जिन कर्मियों के नाम के सम्मुख स्तंभ–05 में वैचारिक प्रोन्नति की तिथि अंकित किया गया है, उन मामलों में वरीयता का लाभ उक्त तिथि से प्राप्त होगा, किन्तु आर्थिक लाभ पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

7. संबंधित पुलिस अधीक्षक को निदेशित किया जाता है कि उक्त नवप्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब स्थानान्तरित जिला/इकाई के लिए भौतिक रूप से प्रस्थान कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक
के आदेशानुसार

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–118/पी0
05–02–2018

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय,झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक–29-01-2018

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण/प्रोविजन, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप–महानिरीक्षक, द0छो0 क्षेत्र, राँची/ उ0छो0क्षेत्र, हजारीबाग/सिंहभूम (कोल्हान) क्षेत्र, चाईबासा/ संथाल परगना क्षेत्र, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा/ चतरा/ गिरिडीह/ सिमडेगा/ जामताड़ा/ खूँटी/ पाकुड़/ झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, एन0जी0ओ0 कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।
7. प्रभारी, डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय, झा0, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।